[illegible] 18-6-19

21-6-19	पत्रावली पेश हुई। वादी हाजिर। आज बहस को मौका चाहते हैं। दिनांक 18-7-19 को पेश हो।
18-7-19	वकील वादी हाजिर। बहस सुनी गई। कानूनी आदेश दि० 17-7-19 को पेश हो।
17-6-19	वकील वादी हाजिर। वाद वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो सुनाया गया।

य उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

नं.

प्रवेश तिथि 29.6.16

प्रारम्भिक डिकी 17.7.19

उनवान

सिंह पुत्र श्री शेरसिंह जाति लवाणा जाति सिक्ख निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जरिये मुख्तयारआम राजपालसिंह पुत्र हरीपालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सडा रोड किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– वादी :–

बनाम

ज.सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास (भूमिधारी) किशनगढबास जिला अलवर।
ज. सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।

:– प्रतिवादीगणः–

दांवा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः–1–श्री जनार्दन शर्मा वकील वादी की ओर से।
2– पेरोकार सरकार की ओर कोई हाजिर नही।

पर्चा डिकी

वाद वादी डिकी किया जाकर वादी को आ0ख0नं0 साबिक 951 मि0/0–18 मे से 12 हाल ख0नं0 978/2–01 में से 12 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास का काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन हाल रिकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज हो उसे कलमजन कर वादी को 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश ते है तदानुसार ही वाद दुरूस्ती अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादी स्वय वहन करेगा।

26/7/19

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
80	29-6-16	17-7-19

उनवान

1- हरीसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह जाति लबाणा सिक्ख निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ-बास जरिये मुख्तयारआम राजपालसिंह पुत्र हरीपालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बास्डा रोड किशनगढ-बास तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर

:- वादी

बनाम

1-राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ-बास (भूमिधारी) किशनगढ-बास जिला अलवर

2- राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :- 1- श्री जनार्दन शर्मा वकील वादी की ओर से ।
2- पैरोकार सरकार की ओर कोई हाजिर नहीं।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:- वादी ने वाद पेश किया कि मालिक ह. नं. 951 रकबा 12 बिस्वा जिसके हाल ह. नं. 978/2-01 में से 12 बिस्वा ग्राम बोलनी तहसील कि. बास विवादित आराजी है।

उक्त विवादित आराजी भिन वादी की कब्जे काश्त पट्टेदारी की आराजी थी जिसके मालिक राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त से पूर्व में भिन वादी को विवादित आराजी का अभिलिखित अलॉटी पट्टेदार दर्ज किया हुआ है। जिसकी नकल जमाबन्दी पेश है। विवादित आराजी की सनद पट्टा सं. 1287(7) दिनांक 2-9-7। को भिन वादी के हक में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ-बास द्वारा जारी किया गया था जिसकी नकल पट्टा सनद खातेदारी पेश है।

वक्त आवंटन से भिन वादी अर्ते दराज से काबिज काश्त है वर्तमान में भी भिन वादी की कब्जा काश्त है। किसी दीगर का आराजी विवादित से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी साबिक राजस्व रिकार्ड में मिन वादी की पट्टेदारी में दर्ज है और सनद पट्टा मिन वादी के हक में नियमानुसार जारी किया गया है जिस पट्टा के आधार पर मिन वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन किया जाना चाहिये था परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण बता किसी सुनवाई के बंजड कदीम दर्ज कर दिया ताहाल रिकार्ड में बंजड कदीम का अंकन किया जा रहा है भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मिन वादी का नाम कलमजन कर दिया जो अंकन खिलाफ कानून व मौका तथा साबिक रिकार्ड के विपरित है। जिस वादी दुरूस्त कराकर अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है। भू-प्रबन्ध विभाग को को इन्द्राज बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

आराजी विवादित पर आज दिन भी वादी की कब्जा काश्त है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बंजड कदीम का अंकन गलत दर्ज किया गया है। इसलिए यह दावा इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

1- डिक्री इश्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सादिर पारित की जाकर विवादित आराजी साबिक ख.नं.951 रकबा 12बिस्वा जिसके हाल ख.नं.978 रकबा 2-01 में से रकबा 12 बिस्वा ग्राम बोलनी का वादी को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे और विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये ताहाल अंकन बंजड कदीम को वादी के अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराया जावे। और राजस्व रिकार्ड ताहाल में मिन वादी के हक में अंकन बहैसियत खातेदार दर्ज कराया जावे।

2- डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। ना किसी दीगर को आयंदित करें।

3- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

4- अन्य आज्ञा न्यायसंगत हो बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर पारित की जावे।

-3-

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वादी के वाद को अस्वीकार कर जबाबदावा पेश किया कि वादी को साबिक ख. नं. 951मिन रकबा 18 बिस्वा की सनद जारी हुई है। साबिक ख. नं. 951/1-05 से हाल ख. नं. 977/1-05 बना है तथा साबिक ख. नं. 951मि. /0-12बिस्वा हाल ख. नं. 978 में शामिल हुवा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वादी के साबिक ख. नं. 951मिन का रकबा हाल ख. नं. 978 में 12 बिस्वा शामिल हुवा हो। वादी ने अपने वाद में अस्पष्ट कथन किया है। वाद काबिल खारिज है। वादी का हाल ख. नं. 978 के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नहीं है। भूमि सिवायचक सरकारी खाते में दर्ज है इसलिए कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादी ने मनघडन्त वो बेबुनियादी तथ्य दर्ज किये हैं। वादी सिवायचक भूमि पर किसी भी प्रकार से हकूक खातेदारी हासिल नहीं कर सकता वाद काबिल खारिज है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वाद वादी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है। अत: वाद खारिज फरमाया जावे।

जबाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य ली गई। वादी की ओर से साक्ष्य में हरिसिंह पुत्र शेरसिंह पडब्लु 1 व हारूण पुत्र हमीदा मेव पी.डब्लु 2 का शपथ पत्र पेश किया है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल सनद पट्टा दिनांक 2-9-71 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सं. 2023 प्रदर्श 2, नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 3, 4, 5, नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 6, 7, नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सं. 2011, फौटो प्रति. इन्तकाल नं. 677 पेश किये हैं।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये बताया कि हमको साबिक ख. नं. 951मि. का 18बिस्वा रकबा अलोट हुवा था जिसकी हमने कीमत कर्जा जमाकोष कराकर सनद खातेदारी सन् 1971 में प्राप्त करली थी। सनद खातेदारी जारी होने के दिन से हम खातेदार हो गये। मौके पर काबिज काश्त करते रहे हैं। भू-प्रबन्ध विभाग ने हमें अलोट शुदा रकबे को भू-प्रबन्ध विभाग ने 12बिस्वा को सिवायचक गलत दर्ज कर दिया जिस रकबे की हम कीमत जमा कराचुके हैं और खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तो भू-प्रबन्ध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हमने साबिक व हाल रिकार्ड पेश किया है। हमारा दावा साबित है दावा डिक्री फरमाया जावे। एवं वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू-प्रबन्ध से ताहाल रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

--4--

उप जिला कलैक्टर

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

तनकी नं. 1:- आया साबिक ख.नं. 951मि./0-18 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़-बास वादी की अलोट शुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसकी सनद खातेदारी नं. 1287{71} वर्ष 1971 में प्राप्त करली थी?
इस तनकी का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2023 प्रदर्श 2 के खाता नं. 1 पर कालम नं. 5 में ख.नं. 951/0-18 के बाबत हरीसिंह पुत्र शेरसिंह सिकलीगर सा.दे अलोटी दर्ज रिकार्ड है जिससे साबित है कि यह आराजी वादी को अलोट हुई थी। नकल सनद नं. 1287{71} दिनांक 2-9-71 प्रदर्श 1 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख.नं. 951मि/0-18 की सनद खातेदारी हरीसिंह वादी द्वारा समस्त कीमत कर्जा जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी दिनांक 2-9-71 को प्राप्त करलिये थे। जिससे साबित है कि वादी इस रकबे का खातेदार हो चुका है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 2:- आया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के साबिक ख.नं. 951मि./0-18 का रकबा 12 बिस्वा हाल ख.नं. 978 में शामिल करते हुये सिवाचक बंजड गलतरूप से दर्ज कर दिया जिसका कि अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं है? इस तनकी का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2011 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख.नं. 951 का कुल रकबा 1-17बिस्वा था। नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 5 के अनुसार साबिक ख.नं. 951/1-17 का रकबा 1-05 हाल ख.नं. 977 में बया है तथा 12 बिस्वा हाल ख.नं. 978 में गया है जो कुल रकबा 1-17 बिस्वा सही बैठता है। नकल जमाबन्दी सं. 2011 के अनुसार साबिक ख.नं. 951मि./0-18 का वादी हरीसिंह पुत्र शेरसिंह अलोटी दर्ज है तथा 951मि./0-19 का गुलाबसिंह पुत्र हरसासिंह अलोटी दर्ज रिकार्ड है जिससे साबित है कि साबिक ख.नं. 951 दो व्यक्तियों को अलोट किया गया था बाद अलोट यह रकबा सिवायचक नहीं था क्योंकि अलोटी हरिसिंह ने सनद खातेदारी नं. 1287{71} दिनांक 2-9-71 को प्राप्त करली थी तथा गुलाबसिंह पुत्र हरसासिंह अलोटी ने सनद खातेदारी नं. 1181{71} दिनांक 13-7-71 को प्राप्त करली थी। इस प्रकार यह तथ्य भली भाँति साबित है कि साबिक ख.नं. 951/1-17 पर अलोटीयान द्वारा हकूक खातेदारी भू-प्रबन्ध यानि सं. 2029 से पूर्व ही प्राप्त करलिये थे। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख.नं. 951मि. के रकबा 12बिस्वा को हाल ख.नं. 978 में शामिल करते हुये बंजड दर्ज करदिया। जबकि साबिक

5

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में यह रकबा अलोटी हरिसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड था जिसकी सनद खातेदारी भी वह प्राप्त कर चुका था। इसलिए भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल रिकार्ड में किया गया इन्द्राज गलत है। भू-प्रबन्ध विभाग को साबिक रिकार्ड अनुसार ही इन्द्राज दोहराना चाहिये था। भू-प्रबन्ध विभाग इस प्रकार के इन्द्राज बदले का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह तनकी बाखूबी साबित होती है। यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 3:- आया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी के साबिक ख. नं. 95।मि./0-18 का रकबा 12 बिस्वा हाल ख. नं. 978 में शामिल करते हुये सिवायचक बंजड गलत रूप से दर्ज कर दिया जिसका कि अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को नहीं था। इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी 2023 प्रदर्श 2 के अनुसार वादी साबिक ख. नं. 95।मिन के रकबा 18 बिस्वा का अलोटी था जिसकी सनद खातेदारी सनद नं. 1287§71§ दिनांक 2-9-71 को वादी ने प्राप्त करली थी। वादी ने सनद सन् 1971 में प्राप्त की मगर सनद के आधार पर जो इन्तकाल खोला गया वह इन्तकाल सं. 677 दिनांक 10-1-83 को दर्ज किया गया जो हाल नम्बरान से दर्ज किया गया। इन्तकाल में ख. नं. 978मि./0-12 दर्ज किया गया है इन्तकाल के कालम नं. 7 में सिवाचक लगानी व कालम नं. 9 में हरिसिंह पुत्र शेरसिंह लबाना सा. देह खातेदार अंकित किया गया है। इन्तकाल की पुश्त पर मिलान नक्शा फल अंकित करते हुये यह इन्तकाल फैसल किया गया है मगर निर्णय में अंकित हाल ख. नं. 978मि./0-12 को काटदिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कालम नं. 7 में सिवायचक अंकित होने से यह रकबा दर्शाया गया है इसलिए कटिंग की गई हो। परन्तु यहा यह भी उल्लेखनिय है कि जब वादी द्वारा इस रकबे की समस्त कीमत कर्जा जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करली थी तो उसे खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था। इस विवादित रकबे को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक बंजड दर्ज किये जाने की भूल ही है और इस भूल के कारण ही वाद सनद जो इन्तकाल खोला गया उसके निर्णय में इस रकबे का अंकन होते हुये निर्णय में काटे जाने का कारण भी यही रहा है। सनद के आधार पर प्राप्त खातेदार हकूक जब तक समाप्त नही होते जबतक सनद निरस्त नहीं होती यह कानूनी प्रावधान है। इस प्रकार यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।वादी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

तनकी नं.4:- आया वाद वादी वेलन किया है वाद हरसूरत में काबिल खारिज है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने इस कथन की पुष्टि में अपने जवाब में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया। विवाद के संबंध में अपने जवाबदावे के साथ प्रमाण पेश करना चाहिये था। इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं. 5:-

आया खातिक ख.नं. 951मि./0-18 का रकबा हाल ख.नं. 978 में शामिल नहीं हुआ है ना ही वादी उक्त रकबे पर का बज काश्त है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सही इन्द्राज किया गया है? इस तनकी का भार भी प्रतिवादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकार्ड व हाल के अनुसार प्रतिवादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब के साथ कोई रिकार्ड पेश नहीं किया। इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं. 6:-

आया दाद वादी कानूनन चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है? इस तनकी का भार भी प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई कानूनी प्रमाण पेश नहीं किया है। इसलिए यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार दाद वादी काबूली तंबित होता है। दाद वादी काबिले डिक्री करारपाता है। दाद डिक्री किया जाना कानून संगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

दाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को आ.ख.नं. साबिक 951मि./0-18 में से 12 बिस्वा हाल ख.नं. 978/2-01 में से 12 बिस्वा वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़-बास का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जो अंकन हाल रिकार्ड में सिवायचक बंजड़ दर्ज हो रहा है उसे कलमजन कर वादी को 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तदानुसार ही बाद दुरूस्ती अमल दरामद हो। खर्चा दाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास [अलवर]

Scanned by CamScanner